"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अप्रैल 2010—वैशाख 1, शक 1932

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-47/2008/20-एक.—विभागीय समसंख्यक दिनांक 13 अगस्त 2008 द्वारा जारी अधिसूचना जिसमें कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राजपत्रित सेवा (शाला स्तरीय) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2008 बनाया गया है, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

क्र.	उल्लेखित पैरा/अनुसूची जिसमें संशोधन करना है	वह अंश/विवरण जो भर्ती नियम में उल्लिखित है	उल्लिखित अंश/विवरण में संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूची क्र. 2 के सरल क्र. 2 के कॉलम 7 अंतर्गत क्र. 2 (क) एवं (ख) में.	(क) एवं (ख) में उल्लेखित "द्वितीय श्रेणी"	"द्वितीय श्रेणी" को विलोपित किया जाता है.
2.	अनुसूची क्र. 2 के सरल क्र. 3 के कॉलम 7 अंतर्गत क्र. 2 (क) एवं (ख) में.	2 (क) एवं (ख) में उल्लेखित "द्वितीय श्रेणी"	"द्वितीय श्रेणी" को विलोपित किया जाता है.
3.	अनुसूची क्र. ॰ के सरल क्र. 3 के कॉलम 7 अंतर्गत क्र. 2 (ख) में.	2 (क) में उल्लेखित "पंचायत विभाग/नगरीय प्रशासन व विकास विभाग."	"पंचायत विभाग/नगरीय प्रशासन व विकास विभाग" को विलोपित करते हुए "स्कूल शिक्षा विभाग" प्रतिस्थापित किया जाता है.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अनुसूची क्र. 2 के सरल क्र. 3 के कॉलम 7 अंतर्गत क्र. 2 (क) एवं (ख) में.	2 (क) कम से कम 3 वर्ष	3 वर्ष से कम
5.	अनुसूची क्र. 3 के सरल क्र. 1 के कॉलम (4) में.	62	आयु सीमा 62 वर्ष के स्थान पर 45 वर्ष प्रतिस्थापित किया जाता है.
6.	अनुसूची क्र. 3 के सरल क्र. 2 के कॉलम (4) में.	62	आयु सीमा 62 वर्ष के स्थान पर 45 वर्ष प्रतिस्थापित किया जाता है.
7.	अनुसूची क्र. 3 के सरल क्र. 3 के कॉलम (4) में.	62	आयु सीमा 62 वर्ष के स्थान पर 45 वर्ष प्रतिस्थापित किया जाता है.
8.	अनुसूची क्र. 3 सरल क्र. 1 के कॉलम (5) के बिन्दु 2 में.	बी. एड./बी.एल.एड.	2-बी.एड./बी.ई.एल.एड. के आगे निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है- डी.एड./बी.टी.आई.

टीप :— 1. उपरोक्त अधिकतम आयु 45 वर्ष सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, इन्हीं पदों में निर्धारित प्रतिशत में पदोन्नति होने पर आयु सीमा सेवानिवृत्ति के पूर्व माना जायेगा.

2. छ. ग. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

Raipur, the 21st April 2010

NOTIFICATION

No. F 1-47/2009/20-One.— In exercise of powers, Chhattisgarh State Government has made a following amendment in the departmental Notification dated 13 August 2008 regarding Chhattisgarh School Education Gazetted Services, Recruitment and Promotion Rules 2008.

S. No. (1)	Existing Para Schedule No. in which amendment are to be made (2)	Particular Part/Statement Existing in the Recruitment Rules (3)	Amendment made in the Existing part of the Rules (4)
1.	In (a) and (b) of column No. 7 of serial No. 2 of Schedule No. 2.	Class II mentioned in (a) and (b)	Class II is deleted
2.	In (a) and (b) of serial No. 2 of column No. 7 of serial No. 3 of Schedule No. 2.	Class II mentioned in (a) and (b) of 2.	Class II is deleted
3.	In (b) of serial No. 2 of column No. 7 of serial No. 3 of Schedule No. 2.	The department of Panchayat/ Local Self Administration and Development department of 2 (a).	School Education Department is established in place of Panchayat/Local Self Administration and Development department.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	In (a) and (b) of serial No. 2 of column No. 7 of serial No. 3 of Schedule No. 2.	Minimum 3 years 2 (a).	Less than 3 years.
5.	In column No. 4 of serial No. 1 of Schedule No. 3.	62	Age limit 62 years replaced by 45 years.
6.	In column No. 4 of serial No. 2 of Schedule No. 3.	62	Age limit 62 years replaced by 45 years.
7.	In column No. 4 of serial No. 3 of Schedule No. 3.	62	Age limit 62 years replaced by 45 years.
8.	In point 2 of column No. 5 of serial No. 1 of Schedule No. 3.	B.Ed./B.El.Ed.	In front of B.Ed./B.El.Ed., D.Ed. and B.T.I. is depicted.

1. The above age limit 45 years, will apply for direct appointment and when promotion in prescribed percentage in these posts are given the age limit shall be considered up to the limit of retirement.

2. The orders and direction issued from time to time by of Chhattisgarh General Administration Department shall also be applicable.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.